भा0कृ0अनु0प0–उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
(भा0कृ0अनु0प0–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान)
गड़सा, कुल्लू (हि. प्र.)–175141

क्रमांक: 7(30)एम/2009/वोल–III/ 1158 | दिनांक: 27. 09. 2018

क्वोटेशन आमन्त्रण नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस केन्द्र के पशु पोषण एवं शरीर क्रिया अनुभाग में निम्नलिखित कार्यों के लिये इच्छुक व्यक्तियों /पार्टियों से वार्षिक अनुबन्ध के लिए निचे दर्शाये गये नियम एवं शर्तों पर क्वोटेशन आमन्त्रित किये जाते है। मुहरबन्द क्वोटेशन/दरें इस कार्यालय मे दिनांक 15.10.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए । क्वोटेशन दर प्रस्तुतकर्ताओं के सामने (यदि उपस्थित हो) उसी दिन पूर्वाह्न 11.30 बजे खोली जाएगीं ।

कार्य का विवरण
भेड़ एवं शशक आहार बनाने से सम्बन्धित कार्य
1) भेड आहार एवं शशक गुलिका आहार तैयार करना।
2) उपरोक्त आहार बनवाने हेतु आहार संघटक को तोलना।
3) आहार संघटक को पीसना, मिलाना, आहार सुखाना एवं बोरी / ड्रम में भरना।
4) आहार सयन्त्र, सयन्त्रशाला की देखरेख का कार्य।
5) केन्द्र के दो पानी के पम्पों को समयानुसार चलाना।

नियम एवं शर्ते

1. उपरोक्त कार्य के लिये दरें मासिक आधार पर सभी कर सहित प्रस्तुत करनी होगी।
2. क्वोटेशन के साथ रू. 3000/– (तीन हजार रुपये मात्र) बतौर अमानत राशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट/ATM (POS) द्वारा जमा करवानी होगी। बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्लयु. आर.आई यूनिट एन. टी. आर.एस. गडसा के नाम भारतीय स्टेट बैंक भून्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवी हो। बिना अमानत राशि के कोई क्वोटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी। यह राशि न्युनतम दर प्रस्तुतकर्ता के अतिरिक्त सभी को अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
3. सफल अनुबन्धकर्ता को कुल अनुबन्ध राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस में अमानत राशि भी समायोजित की जा सकती है। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्लयु. आर.आई यूनिट एन. टी. आर.एस. गड़सा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक भून्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवी रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं। यह राशि अनुबन्धकर्ता को लिखित प्रार्थना पर अनुबन्ध सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी।
4. क्वोटेशन के साथ पैन कार्ड (आयकर) एवं प्रमाणित पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी। जिस अनुबन्धकर्ता के पक्ष में अनुबन्ध होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुबन्ध हस्तान्तरित नहीं कर सकता। अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध के कार्य में व्यवधान करने पर जमानत राशि को जब्त करते हुये अनुबन्ध तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा।
6. अनुबन्धकर्ता/श्रमिक स्वस्थ होना चाहियें क्योंकि आहार सामग्री को उठाने, तैयार करने आदि के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है । इस कार्य के लिये केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी । दाना तोलने के लिये मशीन तथा, भरने के लिये खाली बोरी तथा ड्रम इत्यादि केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
7. अनुबन्धकर्ता/श्रमिक पढ़ा लिखा होना चाहिये।
8. कार्य मे किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा नुकसान होता है तो प्रभारी पशु पोषण एवं शरीर क्रिया अनुभाग की संस्तुति के आधार पर अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले उस माह के बिल की राशि में से कटौती कर दी जावेगी ।
9. यदि अनुबन्धकर्ता या उसके द्वारा लगाए गये श्रमिक कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होते है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अनुबन्धकर्ता को अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केन्द्र/संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
10. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता या उनके द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा केन्द्र की सम्पति को यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान स्वयं अनुबन्धकर्ता को नगद करना होगा अन्यथा उनके देय बिल में से काट लिया जायेगा।
11. अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में सम्बन्धित प्रभारी की अनुसंशा पर अनुबन्ध को वर्तमान दर, नियम व शर्तों पर एक वर्ष तक बढाया जा सकता हैं।

12. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित प्रभारी या प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।
13. अनुबन्धकर्ता या उसके द्वारा लगाए गये श्रमिक किसी आसमाजिक गतिविधियों मे सलिंप्त नही होने चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा अनुबन्ध तुरन्त निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। केन्द्र/संस्थान को इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही होगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
15. सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि इत्यादि की भी कटौती की जावेगी।
16. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
17. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
18. अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध का कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त ही वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
19. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकृत अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
20. ~~सभी विवादों~~ को निपटाने का क्षेत्राधिकार गड़सा, कुल्लू होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा, जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
21. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। अनुबन्ध की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त केन्द्र/संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
22. केन्द्र के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी क्वोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
23. यदि किसी कारणवश उपरोक्त तिथि को अवकाश होता है तो उक्त कार्य हेतु अगली तिथि मान्य होगी।

27-9-18

(ओमहरी चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

वितरण:–

1. नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गडसा ।
2. प्रधान, ग्राम पंचायत गडसा, दियार, शियाह, हुरला व थरास ।
3. प्रभारी ऐ0के0एम0यूनिट भा0कृ0अनु0प0–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान, अविकानगर, राजस्थान से अनुरोध है कि उक्त क्वोटेशन नोटिस को संस्थान वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।
4. प्रभारी, पशु पोषण एवं शरीर क्रिया अनुभाग को उनके नोट दिनांक 10.09.2018 के सन्दर्भ में वृहत प्रचार हेतु प्रेषित है ।